


मुददर्ई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
हन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो
हीं दर्ज करना चाहिए।


सहायक कलक्टर
बस्सी, जयपुर ग्रामीण

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. विमला देवी पत्नी कानाराम जाति माली निवासी ग्राम बांसखों तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।
2. कैलाश चन्द पुत्र जगदीश नारायण जाति ब्राह्मण निवासी बांसखों तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

1. सुवालाल पुत्र भैरुलाल
2. सीताराम उर्फ पप्पूलाल पुत्र भैरुलाल (नाम हजफ)
3. राजेश कुमार पुत्र कन्हैया लाल
4. छोटी लाल पुत्र कन्हैया लाल
5. विजय कुमार पुत्र कन्हैया लाल
6. गेन्दी देवी पत्नि कन्हैया लाल
7. जगदीश पुत्र जयकिशन शर्मा जाति हरि. ब्राह्मण निवासी बांसखो तह. बस्सी जिला जयपुर।
8. भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा उर्फ चण्डालिया तह. बस्सी जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर।
10. तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 118/2022

वादीगण का वाद मुताबिक सहमति पत्र/राजीनामा दिनांक 11.01.2023 का अनुमोदन किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। सहमति पत्र/राजीनामा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार बस्सी मुताबिक सहमति पत्र/राजीनामा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन सहमति पत्र/राजीनामा तहसीलदार बस्सी को भेजे जावें।निजी.....मुबलिक.....बाबत..... खर्चा.....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बस्सी तहसीलदार बस्सी मुहर अदालत के आज तारीख 23.01.2024 को जारी किया गया।



दस्तख्त
सहायक कलक्टर
बस्सी जयपुर

फर्द अहकाम

विमला देवी/बनाम सुवालाल

सहायक कलक्टर, बस्सी
 धना पत्र/मुकदमा नम्बर : 06/19

आज्ञा पत्रवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>विभाजन हेतु पेश किया गया है। बादग्रन्त आवाजी के विभाजन हेतु पक्षकारान की सहमति से विभाजन के लिख राजीनामा प्रस्तुत किया गया है सभी पक्षकारान द्वारा दिनांक 11/01/23 को पेश सहमति पत्र/ राजीनामे पर सहमति जताई गई है अतः न्यायहित में राजीनामे के आधार पर अंतिम रूप से डिली किया जाना उचित समझते हैं। अतः वादीगण का बाद मुताबिक सहमति पत्र/ राजीनामा दिनांक 11/01/23 का अनुमोदन किया जाकर अंतिम डिली किया जाता है सहमति पत्र/ राजीनामा निर्णय एवं डिली का भाग रहेगा। तहसीलदार बस्सी मुताबिक सहमति पत्र/ राजीनामा राजस्व रिमांड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। बाद अनुमोदन सहमति पत्र/ राजीनामा तहसीलदार बस्सी को भेजे जावे। डिली पत्र जारी हो।</p>	

फर्द अहकाम

दिनांक ३०/११/१९ वनाम सुदलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : ०६/१९

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम
संख्या

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश
सहमति पत्र / राजीनामा दिनांक
२३/०१/२५ को पेश है।

लगा

२३/०१/२५

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।
उमयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली में पूर्व में दिनांक ११/०१/२३
को प्रस्तुत सहमति पत्र / राजीनामे
पर, बहस सुनी जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन
किया गया तथा उमयपक्ष अधिवक्ता
की बहस पर मनन किया गया।
वादी सं. - १ एवं प्रतिवादी सं. - १
एवं प्रतिवादी सं. ३ लगायत ४ की
ओर से प्रस्तुत दिनांक ११/०१/२०२३
के सहमति पत्र / राजीनामे का
अवलोकन किया गया। उक्त सहमति
पत्र पर वादी सं. - २ द्वारा लिखित
में अनापत्ति दिनांक १२/०१/२५ को
पेश की जा चुकी है जिसका भी
अवलोकन किया गया। उपरोक्त
अवलोकन हम पाते हैं कि
उन्वानी वादपत्र कृषि मूषि के

लगा